

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 27 जुलाई, 2021/05 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या-60

विषय: कोविड-19 (आरटी-पीसीआर/एंटीजन) की अनिवार्य जाँच से छूट।

दिनांक 26 जुलाई 2021 के समाचार भाग-2 संख्या 59 के क्रम में माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि जिन माननीय सदस्यों का पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है अर्थात् जो कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं, उन्हें 29 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाले सदन के सत्र में उपस्थित होने के लिए आरटी-पीसीआर/एंटीजन की अनिवार्य जाँच कराना आवश्यक नहीं है। ऐसे माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण-पत्र, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, साथ लायें।

इसके अलावा, यदि ऐसे माननीय सदस्य फिर भी आरटी-पीसीआर/एंटीजन जाँच कराना चाहते हैं तो वे समाचार भाग-2 संख्या 59 में निर्दिष्ट सुविधा का लाभ विधान सभा परिसर में उठा सकते हैं।

राज कुमार
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday, 27 July 2021/ 05, Shraavan, 1943 (*Shaka*)

No. 60

SUBJECT: EXEMPTION FROM MANDATORY TESTING OF COVID-19 (RT-PCR/ANTIGEN)

In continuation of Bulletin Part-II No. 59 dated 26 July 2021, it is informed that Hon'ble Speaker has directed that the Hon'ble Members who are fully vaccinated i.e. have taken two doses of COVID-19 Vaccine, are not required to get the mandatory RT-PCR/Antigen test done for the purpose of attending the session of the House commencing from 29.07.2021. Such Hon'ble Members are requested to carry their COVID-19 Vaccine Certificates in physical or electronic format for verification.

Further, if such Hon'ble Members still desire to get the RT-PCR/Antigen test done, then they can avail the facility in the Assembly premises as specified in Bulletin Part-II No. 59.

**Raj Kumar
Secretary**